भारत सरकार

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

वेबसाइट: www.plantauthority.gov.in

पादप जीनोम संरक्षक पुरस्कार 2025-26

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 39(1)(iii) के अंतर्गत पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण नियम, 2012 के साथ पठित (जीन निधि से मान्यता और पुरस्कार) और पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण नियम 2018 (जीन निधि से समुदायिक पुरस्कार)

कृषकों और कृषक समुदायों के लिए भारत का सर्वोच्च पुरस्कार/सम्मान/मान्यता

आर्थिक पौधों की वन्य प्रजातियों और भू-किस्मों के आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण और चयन के माध्यम से उनके सुधार में लगे कृषकों को पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 के अंतर्गत कृषक अधिकारों का एक अनूठा पहल जो पुरस्कार, सम्मान और मान्यता देने की सुविधा प्रदान करता हैं।

1. पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कार

पुरस्कार: एक वर्ष में अधिकतम पाँच पुरस्कार, प्रत्येक में रु 10,00,000/- (रुपये दस लाख मात्र) की नकद राशि, प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिह्न शामिल हैं।

कौन आवेदन कर सकता हैं: किसानों का एक समुदाय विशेषकर जनजातीय, ग्रामीण और कृषक समुदाय जो आर्थिक पौधों के भू-प्रजातियों और वन्य प्रजातियों के आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण और चयन के माध्यम से उनके सुधार एवं संरक्षण में लगा हुआ हैं और इस प्रकार चयनित और संरक्षित सामग्री को अधिनियम के अंतर्गत अन्य लोगों के साथ साझा किया गया हैं।

2. पादप जीनोम संरक्षक कृषक सम्मान/मान्यता

सम्मान: अधिकतम 10 सम्मान जिसमें प्रत्येक में रु 1,50,000/- (रुपये एक लाख पचास हज़ार मात्र) नकद राशि, प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिह्न शामिल हैं।

मान्यता: अधिकतम 20 मान्यता जिसमें प्रत्येक में रु 1,00,000/- (रुपये एक लाख मात्र) नकद राशि, प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिह्न शामिल हैं।

कौन आवेदन कर सकता हैं: ऐसे कृषक जो आर्थिक पौधों की भू-प्रजातियों और वन्य प्रजातियों के आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण और चयन के माध्यम से उनके सुधार एवं संरक्षण लगे हुए हैं और इस प्रकार चयनित और संरक्षित सामग्री का उपयोग पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के अंतर्गत पंजीकृत किस्मों में जीन दाताओं के रूप में लगे हुए कृषक आवेदन कर सकते हैं (विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों द्वारा विधिवत अग्रेषित किया जाना हैं और सम्बन्धित संस्थान से प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना हैं)

आवेदन कैसे करें: आवेदन पत्र और विस्तृत दिशानिर्देश प्राधिकरण की वेबसाइट *www.plantauthority.gov.in/* से डाउनलोड किए जा सकते हैं या पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली या प्राधिकरण के शाखा कार्यालयों रांची, गुवाहाटी, पालमपुर, पुणे और शिवमोगा (कृपया पता वेबसाइट से देखें) से किसी भी कार्य दिवस पर सुबह 09:00 बजे से शाम 05:30 बजे तक व्यक्तिगत रुप से या डाक द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदन हिन्दी या अंग्रेजी में जमा किए जा सकते हैं। कोई आवेदन शुल्क नहीं हैं। केवल सहायक दस्तावेज (दस्तावेजों) के साथ पूरा फार्म जमा किया जाना हैं।

अग्रेषित किए जाने वाले आवेदन का माध्यम: सम्बन्धित पंचायत, जैव-विविधता प्रबंधन समिति के अध्यक्ष/सचिव या सम्बन्धित जिला कृषि अधिकारी या सम्बन्धित केंद्रीय/राज्य कृषि विश्वविद्यालय के अनुसंधान निदेशक या सम्बन्धित जिला जनजातीय विकास कार्यालय।

यद्यपि, पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कार के लिए आवेदन सम्बन्धित क्षेत्रीय परियोजना निदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (अब निदेशक- कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान (ATARI)- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के माध्यम से भी कार्यालय मोहर के साथ भेजे जा सकते हैं।

जमा करने की अंतिम तिथि: विधिवत भरा हुआ आवेदन पत्र, सहायक दस्तावेजों, आवश्यक जानकारी और किए गये दावों के विवरण/प्रमाण के साथ विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 3 (तीन) महीनों के भीतर निम्नलिखित पते पर पहुंच जाना चाहिये। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

रजिस्ट्रार

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

प्लांट अथॉरिटी भवन, देव प्रकाश शास्त्री मार्ग,

राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र परिसर के निकट, टोडापुर गाँव के सामने, नई दिल्ली 110012

फोन: +91-11-25841532, ई-मेल: dipalroy.choudhury@gov.in, registrar-hort-ppvfra@nic.in